



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 नवम्बर, 2021

अग्रहायण 3, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-1

संख्या 03/2021/3862/6-पु-1-21-650(59)-02टीसी VI

लखनऊ, 24 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-84

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा

(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

नियम 14 का
संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

14-ऐसा/ऐसी व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो, जिसका/जिसकी पहले से जीवित पति/पत्नी हो; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

14-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा/ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा/होगी, जिसकी एक से अधिक पति/पत्नियां जीवित हों या ऐसा/ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा/होगी जिसने ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिये लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

स्तम्भ-2**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**

पति/पत्नी जीवित हो।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।